

ग्राम पंचायत जरड़ भुट्टी कलौनी, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.14 से 31.3.17

भाग—एक

1 प्रस्तावना:—

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC&(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत जरड़ भुट्टी कलौनी, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 4/14 से 3/17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत्त थे:—

(i) प्रधान:—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री जसवंत शर्मा	1.4.14 से 22.1.16
2	श्रीमती सवित्रा देवी	23.1.16 से अद्यतन

(ii) सचिव:—

1	श्रीमती पुष्पा देवी	1.4.14 से 28.11.16
2	श्रीमती अंजना देवी	29.11.16 से अद्यतन

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:—

ग्राम पंचायत जरड़ भुट्टी कलौनी, ब्लाक कुल्लू, जिला कुल्लू के लेखाओं अवधि 4/14 से 3/17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार न करना	—
2	7	पंचायत राजस्व की वसूली शेष	1.03

3	10	सोलर लाईट की खरीद में अनियमितताएं	6.88
4	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	0.98
5	8	अनुदान का अवरोधन	4.17

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:—

ग्राम पंचायत जरड़ भुट्टी कलौनी, विकास खण्ड कुल्लू जिला कुल्लू के अवधि 4/14 से 3/17 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विकास धवन, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 6.6.17 से 15.6.17 तक पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 1/15, 3/16 व 3/17 तथा 3/15, 10/15 व 1/17 मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:—

ग्राम पंचायत जरड़ भुट्टी कलौनी, विकास खण्ड कुल्लू जिला कुल्लू के अवधि 4/14 से 3/17 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला—9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD (211)/2017-54 दिनांक 14.6.17 द्वारा सचिव पंचायत जरड़ भुट्टी कलौनी से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत जरड़ भुट्टी कलौनी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/14 से 3/17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है:-

(i) स्व: स्त्रोत व अनुदान:- ग्राम पंचायत के अवधि 4/14 से 3/17 तक स्व: स्त्रोत व अनुदानों की वित्तीय स्थिति बैंक पास बुकों के अनुसार निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-I (क) (ख) में दिया गया है।

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष
						(₹)
2014–15	796814.83	817967	35135	1649916.83	976977	672939.83
2015–16	672939.83	1756946	34086	2463971.83	703548	1760423.83
2016–17	1760423.83	4237616	78756	6076795.83	4849453	1227342.83

(ii) मनरेगा:- बैंक पास बुक संख्या 20130009709 के अनुसार

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष
						(₹)
2014–15	193.47	136910	1215	138318.47	127884	10434.47
2015–16	10434.47	—	51	10485.47	10434	51.47
2016–17	51.47	—	1	52.47	52	0.47

4.1 रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार व बैंक खातों से मिलान न करना:-

ग्राम पंचायत जरड़ भुट्टी कलौनी की रोकड़ बहियों के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट, लेखों, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार नहीं किया गया है। नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार रोकड़ बही में अन्तिम शेष की गणना तथा प्रत्येक वर्ष के अन्त में बैंक खातों में जमा राशियों का विवरण रोकड़ बही में दिया जाना अपेक्षित था तथा रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः रोकड़ बहियों में प्रत्येक वर्ष अथशेष/अन्तिम शेष की गणना न करना तथा बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के

विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बहियों का रख रखाव नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए व बैंक खातों के साथ मिलान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त आय व व्ययों का विवरण:—

ग्राम पंचायत जरड़ भुट्टी कलौनी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार अवधि 4/14 से 3/17 तक स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त आय व व्ययों का विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट 2 (क) (ख) में दिया गया है।

5 निर्धारित सीमा से अधिक नगद राशि का रखना:—

पंचायत की रोकड़ बही के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा दिए गए विवरणानुसार नगद राशि को निर्धारित सीमा जोकि ₹1000 है, से अधिक रखा गया था जोकि (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	अवधि	हस्तगत राशि
1	26.10.15 से 9.11.15	7828
2	23.3.17 से 29.3.17	1381
3	2.8.16 से 10.8.16	2944
4	4.1.15 से 9.1.15	16320

6 बजट प्राक्कलन फार्म—11 में तैयार न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखों, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म—11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि बजट प्राक्कलन फार्म—11 में तैयार न करके सामान्य तौर पर कार्यवाही रजिस्टर में बनाया गया था। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार न बनाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7 पंचायत राजस्व ₹1.03 लाख की वसूली शेषः—

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.17 तक पंचायत के राजस्व ₹103480 की वसूली शेष थी।:-

(i) गृहकरः—		(परिशिष्ट-3)			
वर्ष	अथशेष	माँग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2014–15	23410	26500	49910	27230	22680
2015–16	22680	26750	49430	39840	9590
2016–17	9590	55900	65490	17010	48480

(ii) मोबाईल टावर		(परिशिष्ट-4)			
वर्ष	अथशेष	माँग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2014–15	40000	14000	54000	5000	49000
2015–16	49000	14000	63000	11500	51500
2016–17	51500	17000	68500	13500	55000

विभिन्न मोबाईल कम्पनियों से वसूली हेतु शेष राशियों का विवरण निम्न प्रकार से हैः— (परिशिष्ट-4)

क्र0सं0	मोबाईल कम्पनी का नाम	31.3.17 को शेष राशि
1	IDEA	23000
2	BSNL	21000
3	AIRTEL-I	6500
4	AIRTEL-II	2000
5	VODAFONE	2500
6	JIO	शून्य
7	RELIANCE	शून्य
कुल		₹55000

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

8 अनुदान ₹4.17 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-5) के अनुसार दिनांक 31.3.17 को ₹416696 का उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों से स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। अतः अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान की राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यापण सम्बन्धित संस्था/विभाग को किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीद जाँच हेतु उपलब्ध न होना:-

अंकेक्षण अवधि के व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा क्रय विभिन्न सामानों व विभाग को किए गए भुगतानों से सम्बन्धित वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें जाँच हेतु उपलब्ध नहीं थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। अतः भुगतानों से सम्बन्धित वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत की जाए।

क्र0सं0	अनुदान का नाम	रोकड़ बही पृ0सं0	फर्म/विभाग का नाम	राशि (₹)
1	पंचायत निधि	44 / 9.3.15	M/S Ashu Electricasl, Bajaura	10275
2	पंचायत निधि	45 / 9.3.15	M/S A.K. Enterprises, Bhutti Colony	10817
3	13 th FC	005 / 24.12.16	D.P.O. Kullu	116941

10 सोलर लाईटों ₹6.88 लाख की खरीद में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं बारे:-

अंकेक्षण अवधि में बिल वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा 14th वित्तायोग द्वारा प्राप्त अनुदान की राशि से बिल संख्या 107, दिनांक 25.12.16 द्वारा ₹19100 प्रति यूनिट की दर से 36 सोलर लाईटों का क्रय ₹687600 में M/S JAG Trading Co. Sunder Nagar से किया गया जिसमें निम्न अनियमितताएं पाई गई:-

1) क्रय के लिए निविदाएँ समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आमन्त्रित की जानी चाहिए थी, परन्तु पंचायत द्वारा इस नियम का पालन नहीं किया जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

- 2) क्रय के लिए जारी N.I.Q. व आपूर्ती आदेश अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए।
 3) सोलर लाईटों की Installation/working report वाउचरों के साथ संलग्न नहीं पाई गई,
 अतः उपरोक्त औपचारिकताओं को पूर्ण न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹98197 के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधानव भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) च 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएँ अर्थात् निविदाएँ आमन्त्रित करना इत्यादि प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-6 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹98197 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नरजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr.No.	Name of Register
1	Work Register
2	T.A. Check Register F-20
3	Cheque issue/Receipt Register
4	Temporary Advance Register
5	Bill Register F-13

13 क्रय की गई वस्तुओं की स्टॉक प्रविष्टियाँ दर्ज न करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार क्रय किए गये प्रत्येक मद की स्टॉक प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है। जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार क्रय की गई सामानों की स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई थी। अतः निम्न विवरणानुसार क्रय सामानों की क्रय प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए।

Sr.No.	Grant	Name of Firm	Bill No.	Item	Amt. (₹)
1	Panchayat Nidhi	M/S Bodh Raj Shamshi	Nil	Coal	1200
2	-do-	M/S Ashu Electrical, Bajanra	416/9.3.15	Electrical Goods	10275
3	-do-	-do-	411/9.1.15	-do-	5980
4	-do-	M/S A.K. Enterprises, Bhutly Colony	5678/1.1.15	Paint	10817
5	13 th F.C.	M/S New Singh wire Industry, Jia	4274/1.3.15	Angle Chennel	7695
6	-do-	M/S H.P. State Civil Supply corporation	CSH-078-00841/14.11.15	Cement	77658

14 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

- 15 लघु आपत्ति विवरणिका:-** यह अलग से जारी नहीं की गई है।
- 16 निष्कर्ष:-** पंचायत की रोकड़ बहियों व स्टॉक रजिस्टरों के रख रखाव में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता
 (ज्ञान चन्द शर्मा)
 सहायक निदेशक,
 स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
 हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
 0177-2620046

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(iii) 14 / 2017-खण्ड-1,5793-5796, दिनांक-20.09.2017
 शिमला-171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत**
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत जरड भुट्टी कलौनी, विकास खण्ड कुल्लू तहसील कुल्लू जिला कुल्लू (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
 - 3 जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू जिला कुल्लू हि0प्र0
 - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुल्लू तहसील कुल्लू जिला कुल्लू हि0प्र0

हस्ता
 (ज्ञान चन्द शर्मा)
 सहायक निदेशक,
 स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
 हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
 0177-2620046